न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 81 / 2024 दायर तारीख :– 04.09.2024

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र रूपाराम, जाति जाट निवासी किशनपुरा, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपु हाल प्लाट नम्बर 8, सैक्टर–8 शिव कॉलोनी, विद्याधर नगर,जयपुर, राजस्थान
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रूपाराम
3. मोहरी देवी पत्नी रूपाराम

समस्त जाति जाट निवासी किशनपुरा, तहसील कि0 रेनवाल रेनवाल जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. अर्जुनलाल पुत्र रूडाराम
2. गोपाल लाल पुत्र रूडाराम
3. मांगीलाल पुत्र रूडाराम
4. जगदीश पुत्र रूडाराम
5. ग्यारसी पत्नी गोपाल
6. लाखाराम पुत्र हीरालाल
7. छाजूराम पुत्र हीरालाल
8. लालचन्द पुत्र हीरालाल
9. रामेश्वर पुत्र हीरालाल
10. भागचन्द पुत्र हीरालाल
11. सन्तोष चौधरी पत्नी भागचन्द औला
12. दुर्गादेवी पत्नी रामेश्वर
13. धन्नाराम पुत्र लादूराम
14. पप्पूराम पुत्र धन्नाराम
15. अंजू पत्नी पप्पूराम
16. नरसी पुत्र लिखमा
17. भगवाना पुत्र गुल्ला
18. किशनाराम पुत्र लादूराम
19. प्रभुराम पुत्र लादूराम

    समस्त जाति जाट, निवासी किशनपुरा, तहसील कि0 रेनवाल , जिला जयपुर।
20. प्रेम पत्नी मांगीलाल
21. हरफूल सिंह पुत्र जगदीश
22. मनभरी पत्नी जगदीश
23. लाली पत्नी अर्जुनलाल,

    समस्त जाति जाट, निवासी भैसावा, तहसील .....जिला जयपुर।
24. बनवारीलाल जाट पुत्र गणेशराम ओला, जाति जाट, निवासी चारणों की ढाणी, हरसोली,तहसील .....जिला जयपुर।
25. गोपाल पुत्र भैरू
26. बंशीधर पुत्र रामचन्द्र
27. रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र

    समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी देवराजपुरा, तहसील .....जिला जयपुर।
28. मीरा देवी पत्नी रामेश्वर
29. लालीदेवी पत्नी बंशीधर
30. सरजू देवी पत्नी गोपाल

    समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी देवलिया, तहसील.....जिला जयपुर।
31. उदय सिंह पुत्र रूपदान
32. नारायण सिंह पुत्र रूपदान
33. जितेन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह
34. सत्यनारायण सिंह पुत्र किशन सिंह
35. महेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ-रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

36. महिपाल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह
37. राजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह
38. रमेश सिंह पालावत पुत्र रामकरण सिंह
39. वासूदेव सिंह पालावत पुत्र रामकरण सिंह
40. उषा कंवर पुत्री रामकरण सिंह
41. कुबेंरदान सिंह पुत्र शुभकरण दान
42. विरेन्द्र सिंह पुत्र कुबेरदान सिंह
43. सुशीला देवी पत्नी रामजीवण सिंह
44. गोविन्दसिंह पुत्र किशोरदान
45. भवानीदान पुत्र मुकुन्ददान
46. सन्तोष कॅवर पत्नी मदनसिंह
47. सांवल सिंह पुत्र मदन सिंह समस्त जाति चारण निवासी किशनपुरा तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
48. सुमन कंवर पत्नी विरेन्द्र सिंह जाति चारण निवासी शुभ सदन, जगदम्बा कॉलोनी ढेर का बालाजी, जयपुर।
49. रणधीर सिंह पुत्र मदनसिंह
50. रमेश दान पुत्र मदनसिंह
51. रविन्द्र सिंह मदनसिंह
52. रमेश सिंह पुत्र नाथूसिंह
53. विजयपाल सिंह पुत्र नाथू सिंह
    जाति चारण, निवासी देवराजपुरा, तहसील .....जिला जयपुर, राजस्थान
54. सावित्री देवी पुत्री नाथूसिंह जाति चारण निवासी किशनगढ रेनवाल, तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर।
55. सन्तोष कंवर पत्नी विजयपाल सिंह जाति चारण निवासी हरसोली, तहसील ..... जिला जयपुर।
56. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ रेनवाल
57. उप पंजीयक, किशनगढ रेनवाल
58. पंजाब नेशनल बैंक शाखा करणसर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
59. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भैंसावा जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
60. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
61. एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
62. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा रायथल, जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
63. यूको बैंक शाखा रेनवाल जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित :– श्री राजेन्द्र सिंह , विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री लक्ष्मण सिंह विद्ववान अधिवक्ता अप्रार्थी
श्री रामसिंह विद्ववान अधिवक्ता अप्रार्थी
श्री जंयत चौधरी विद्ववान अधिवक्ता अप्रार्थी
श्री शंकरलाल काजला विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ-रेनवाल

निर्णय

<u>निर्णय दिनांक 31.10.2025</u>

1. प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त उनवानी दावा बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है व साथ में अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पेश किया है जिसका सूक्ष्म वृतांत इस प्रकार है। राजस्व ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का हरसोली भू0अ0नि0 बाघावास तहसील कि0

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

रेनवाल में खसरा नम्बर 686 रकबा 59.1407 हैक्टैयर किस्म बारानी प्रथम स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण 1 ता 55 का हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज अनुसार नाम दर्ज रिकोर्ड है। उक्त वर्णित भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के सयुंक्त खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीसंख्या 1 ता0 55 को अनेक बार समय समय पर उक्त आराजीयात का बाई मीट्स एंण्ड बाउण्ड के आधार पर विधिक विभाजन कराने हेतु आग्रह किया तो पूर्व में तो हामी भरते रहे परन्तु अब अप्रार्थी संख्या 1 ता 55 की नियत में खोट व बेईमानी आ गई सयुंक्त खातेदारी भूमि की कृषि भूमि का विशिष्ट भू–भाग दीगरान् को बेचान हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने तथा दीगर को आम व खास मुखत्यार करवाने एंव विशिष्ट भू–भाग पर कच्चा–पक्का स्थायी निर्माण करके स्थायी कब्जा करने की फिराक में है। दिनांक 16.08.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 55 अपने साथ भू माफिया गिरोह के व्यक्तियों को लेकर मौके पर आये और विशिष्ट भू–भाग की ओर ईशारा करते हुए बेचान वार्तालाप करने लगे। जिसका प्रार्थीगण ने विरोध किया तथा धमकी दी। अप्रार्थी संख्या 1 ता 55 अपनी बैजा गैरकानूनी हरकतो से बाज नहीं आ रहे है। ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 13,14,1516,18लगायत 23,25,26,27,28लगायत 32, 35 लगायत 40,43 लगायत 47, 49 लगायत 63 के बावजूद विधिवत तामिल उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 33,34 की ओर से वकील लक्ष्मण सिंह जी उपस्थित हुए तथा काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त में वर्णन इस प्रकार है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकोर्ड में अविभाजित है। किन्तु बुजुर्गान के समय से ही उक्त आराजीयात का पारस्परिक सहमति से विभाजन किया हुआ है जिसके अनुसार प्रतिवादी 33,34 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से पर काबिज है। प्रार्थी/वादी ने वाद की आड में प्रतिवादी संख्या 33 , 34 की मौके पर कब्जे काश्त की आराजीयात पर जबरन कब्जा कर लिया और प्रतिवादी 33, 34 को बेदखल कर दिया गया तो प्रतिवादी संख्या 33 व 34 को असहनीय हानि होगी ऐसी स्थिति में प्रार्थी–वादी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 41,42,48 की ओर से वकील राम सिंह जी ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया की अप्रार्थीगण मौके पर बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है। मौके कब्जे अनुसार विभाजन किया जाने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 24 की ओर से वकील जयंत चौधरी जी उपस्थित हुए व जवाब नहीं देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया । अप्रार्थी संख्या 17 की ओर से वकील शंकरलाल काजला उपस्थित हुए तथा जवाब नहीं देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 33,34 के काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया।

3. प्रकरण में उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादग्रस्त आराजीयात अविभाजित आराजीयात है। जिसके प्रत्येक इंच–इंच पर वादी तथा प्रतिवादी का हिस्सा है। वादग्रस्त आराजीयात अविभाजित है जिसे वादीगण/प्रार्थीगण बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर विभाजन करवाना चाहते है तथा इस संबंध में प्रार्थी द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा दौराने वाद वादग्रस्त आराजीयात की भौतिक स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः वादग्रस्त पर मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाए रखते हुए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

पांबद किया जावे। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण 33,34 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकोर्ड में अविभाजित है। किन्तु बुजुर्गान के समय से ही उक्त आराजीयात का पारस्परिक सहमति से विभाजन किया हुआ है प्रार्थी/वादीगण वाद की आड़ में मनचाही जगह कब्जा करना चाहते है। इसलिए वादी/प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 17, 24, 41,42,48 के अधिवक्तागण ने अपनी बहस में यह कथन किया कि वादग्रस्त मौके पर विभाजित है। जिसमे सभी खातेदार अपने कब्जे काश्त के अनुसार काबिज काश्त है। ऐसे में यदि हम अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करवाया किया जाता है हम अपनी आराजीयात को उन्नत , विकसित नहीं कर पायेगें अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाए।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 व सी0पी0सी0 1908 के आदेश 39 नियम 1 व नियम 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का सतुंलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना आवश्यक है। उक्त सदंर्भ में प्रकरण विश्लेषणानुसार अपेक्षित है।

5. प्रथम दृष्टया मामलाः— वकील प्रार्थी द्वारा रिकोर्डेड खातेदार होने के आधार बाई मीट्स एण्डस बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया है तथा दौराने वाद राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 33,34 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउंटर टी0आई0 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि का पारस्परिक सहमति से पूर्व में बंटवारा हो चुका है। प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदारों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण 33,34द्वारा अपने हिस्से की भूमि को विकसित कर रखा है अतः प्रार्थी को दौराने वाद अप्रार्थीगण 33, 34 के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने व राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाए। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण 33 व 34 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर टी0आई0 का जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण 33,34 द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण 41,42,48,17 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। हस्तगण प्रकरण सहखातेदारों के मध्य राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्सेअनुसार विभाजन से संबंधित है। प्रार्थीगण द्वारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तथा अप्रार्थीगण द्वारा कब्जे काश्त अनुसार विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पांबद करने का निवेदन किया गया है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में उभयपक्षों के हको व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में गुणावगुण के आधार पर निर्धारित होगा। स्थापित विधिक प्रावधानों के अनुसार सयुंक्त खाते की भूमि का कोई भी सहखातेदार बिना भूमि का विभाजन कराए हस्तान्तरण नहीं कर सकता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में प्रतीत होता है।

6. सुविधा का सतुंलनः— प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है, प्रार्थीगण द्वारा बाई—मीट्स एण्ड बाउंडस तथा अप्रार्थीगण द्वारा कब्जे काश्त अनुसार विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के हस्तांतरण होने से प्रार्थीगण तथा कब्जे काश्त में व्यवधान होने पर अप्रार्थीगण को असुविधा होना प्रबल संभावित है।

7. अपूरणीय क्षतिः— वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है। विधि द्वारा स्थापित प्रावधानों के अनुसार बिना विभाजन कराए कोई भी सहखातेदार संयुक्त खातेदारी की भूमि का हस्तातंरण नहीं कर सकता है। ऐसी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

स्थिति में वादग्रस्त आराजी के दौराने वाद हस्तांतरण होने एंव कब्जे काश्त में व्यवधान होने पर उभयपक्षकारान को अपूरणीय क्षति होना संभावित है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द होने से रोका जाना, प्रकरण में आगे वाद बहुल्यता उत्पन्न होने और अन्य विधिक जटिलताए रोकना पूर्णतया अपेक्षित व न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभयपक्षरान को पांबद किया किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 साबित होने पर उभय पक्षकारान को वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पांबद किया जाता है।

निर्णय दिनांक 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते

(सर्वेश शर्मा आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल